अध्याय 5
प्रभाव निर्धारण

5.1. कच्चे तेल के उत्पादन को अधिक बताने के कारण निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का अधिक भुगतान

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने पीआरपी का भुगतान सीपीएसईज़ के लाभ से सीधे रूप से जुडे परिवर्ती वेतन, सीपीएसईज़ के साथ साथ कर्मचारियों[18] के निष्पादन के रूप में प्रारंभ किया था (नवम्बर 2008)। सीपीएसईज़ का निष्पादन उसके एमओयू (संबंधित मंत्रालय के साथ हस्ताक्षारित समझौता ज्ञापन) द्वारा रेटिंग से मापा जाता है। 'उत्कृष्ट' रेटिंग वाली सीपीएसई के लिए उसके कर्मचारियों को *100 प्रतिशत पीआरपी के प्रति 'बहुत अच्छा' के लिए 80 प्रतिशत, 'अच्छा' के लिए 60 प्रतिशत और 'मध्यम रेटिंग के लिए 40 प्रतिशत देय है।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी को 2011-12 से 2013-14 के दौरान 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई थी और 2014-15 में 'बहुत अच्छी' रेटिंग दी गई थी। कम्पनी द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन उसके निष्पादन के निर्धारण के लिए एक मानदण्ड है। यह पाया गया कि कम्पनी इस अवधि के दौरान निरन्तर कच्चे तेल के उत्पादन के लिए एमओयू लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही जबकि इन वर्षों के दौरान बीएसएवंडब्ल्यू और आफ गैस मात्रा को शामिल करते हुए रिपोर्ट किए गए कच्चे तेल के उत्पादन को अधिक बताया गया था। (जैसा कि प्रतिवेदन के पैरा 3.1 और 3.2 में उल्लिखित हैं)।

लेखापरीक्षा ने वास्तविक कच्चे तेल के उत्पादन पर विचार करते हुए (अर्थात बीएसएवंडब्ल्यू और आफ गैस मात्रा को छोडकर) कम्पनी के एमओयू रेटिंग को दोबारा देखा (**अनुबंध III**) और पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी का स्कोर 1.476 (उत्कृष्ट रेटिंग) से परिवर्तित होकर 1.508 (बहुत अच्छा रेटिंग) हो गया। अतः 2013-14 के लिए, कर्मचारियों पर लागू पीआरपी उनके द्वारा प्राप्त 100 प्रतिशत के बजाय 80 प्रतिशत होनी चाहिए थी। उत्कृष्ट रेटिंग के ₹854.67 करोड़ के तहत पीआरपी भुगतान के कम्पनी के अनुमान और बहुत अच्छी रेटिंग के अन्तर्गत योग्य राशि के ₹748.16 करोड़ (80 प्रतिशत की दर पर) पर विचार करते हुए आर्थिक वर्ष 2013-14 के लिए पीआरपी भुगतानों पर ₹106.51 करोड़ (लगभग) का अधिक भुगतान निकला।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि लक्ष्य के प्रति बताया गया वास्तविक उत्पादन डाटा वास्तव में लक्ष्य तैयार करते समय किए गए अनुमानों के समान उसी लाइन पर था। प्रबन्धन ने बताया कि एमओयू लक्ष्य में, कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य तैयार करने में बीएस एवं डब्ल्यू और आफ गैस का कोई समायोजन नहीं किया गया था। इसी कार्यप्रणाली का वास्तविक रिपोर्टिंग में भी अनुसरण किया गया था। अतः डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वि.व. 2013-14 के लिए ओएनजीसी द्वारा पीआरपी का भुगतान किया गया है।

प्रबन्धन का उत्तर निम्नलिखित के दृष्टिगत युक्तियुक्त नहीं है:

(i) फरवरी 2013 में आयोजित टास्क फोर्स बैठक में 2013-14 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्य

18 वार्षिक पीआरपी राशि = पीआरपी के घटक (चालू लाभ से 60% और वृद्धि संबंधी लाभ से 40%)* वार्षिक मूल वेतन* **एमओयू रेटिंग** (उत्कृष्ट-100%, बहुत अच्छा-80%, अच्छा-60%, मध्यम-40%)* ग्रेड प्रोत्साहन (ई0 से ई3-40%, ई4 से ई5-50%, ई6 से ई7-60%, ई8 से ई9-70% और ई-10-10%, निदेशक-150%, सीएमडी-200%)* उपलब्ध राशि से अपेक्षित उपलब्ध राशि का कार्यकारी निष्पादन* रेटिंग अनुपात।

में यह नहीं बताया गया था कि यह बीएसएवंडब्ल्यू और आफ गैस मात्रा सहित था। 25 मार्च 2013 को एमओपीएनजी के साथ कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू (2013-14) भी कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य में बीएसएवंडब्ल्यू और आफ गैस शामिल होने के संबंध में भी मौन था। लेखापरीक्षा ने पाया कि हस्ताक्षरित एमओयू में '2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट' में कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य के निष्पादन के मूल्यांकन के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेज के स्त्रोत/उद्गम दर्शाए गए हैं। 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट में कच्चे तेल की उत्पादन मात्रा के भाग के रूप में बीएसएवंडब्ल्यू और आफ गैस मात्रा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था।

(ii) इसके अलावा, कम्पनी के फिल्डों के पुराने होने के साथ, बीएसएवंडब्ल्यू मात्रा में प्रगतिशील रूप से वृद्धि हो रही है। कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य या प्राप्ति में बीएसएवंडब्ल्यू की मात्रा को शामिल करने से गलत लक्ष्य निर्धारण और रिपोर्टिंग होंगी, जिससे बीएसएवंडब्ल्यू मात्रा की वृद्धि से लगातार गलती की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी।

(iii) कच्चे तेल के उत्पादन के लिए कम्पनी के एमओयू लक्ष्य अपतट और तटवर्ती परिसम्पत्तियों के बीच वितरित किए गए हैं। एकल परिसम्पत्तियों के उत्पादन लक्ष्य प्रबन्धन के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित निष्पादन ठेकों में निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निष्पादन ठेकाओं में कच्चे तेल के उत्पादन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि *'कच्चे तेल में प्राप्ति योग्य तेल रिजर्व का भाग शामिल होगा जो अभिरक्षा हस्तांतरण/सुपुदर्गी मीटर पर उत्पादित और सुपुर्द किया जाता है। इसमें मूल अवसाद और जल (बीएसएवंडब्ल्यू) के समायोजन के बाद मात्रा शामिल है'।* जेवी (जिसमें कम्पनी की भागीदारी रूचि हो) ने भी कच्चे तेल के उत्पादन को बीएसएवंडब्ल्यू और आफ गैस मात्रा को छोड कर बताया था। इससे पता चलता है कि बीएसएवंडब्ल्यू और ऑफ गैस को कम्पनी के साथ साथ अन्य घरेलू जेवी में कच्चे तेल के उत्पादन के रूप में मानना अभिप्रेत नहीं हैं।

(iv) आफ गैस अपतट से प्रेषित आंशिक रूप से स्थिरीकृत कच्चे तेल में एक घुली हुई गैस है और इसे कच्चे तेल के संसाधन और स्थिरीकरण के दौरान उरण संयंत्र में हटाया जाता है और इसे गैस के उत्पादन में जोडा जाता है और प्राकृतिक गैस के रूप में बेचा जाता है। वैसे तो, इसे कच्चे तेल के उत्पादन के रूप में बताना नहीं चाहिए।

5.2. कम्पनी द्वारा वहन किया गया अतिरिक्त आर्थिक सहायता भार

क. संघटित और आफ गैस के समावेशन द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के अधिक बताने के कारण ₹18626.74 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक सहायता भार

अपस्ट्रीम राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एनओसीज अर्थात् ओएनजीसी और ओआईएल) ने अक्तूबर 2003 से आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न आयल मार्केटिंग कम्पनियों (ओएमसी) की कम वसूली का शेयर किया। 2003 से 2011 की अवधि के दौरान अपस्ट्रीम एनओसीज के आर्थिक सहायता शेयर के निर्धारण की कार्यप्रणाली में इन कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के वास्तविक उत्पादन का उल्लेख नहीं किया गया। एमओपीएनजी ने दिनांक 9 जनवरी 2012 के अपने आदेश द्वारा आर्थिक सहायता शेयरिंग कार्यप्रणाली को संशोधित किया। संशोधित प्रणाली के अनुसार, एक एनओसी का आर्थिक सहायता भार उसके कच्चे तेल के उत्पादन (मूल अवसाद और जल को कम कर, आन्तरिक खपत और पारगमन हानि) पर आधारित होगा। 2011-12 से 2014-15 (सितम्बर 2014 तक) की अवधि के लिए ओएनजीसी का आर्थिक सहायता शेयर निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाला गया थाः

यूएसडी 56 प्रति बैरल X बैरल में मापा गया कच्चे तेल का उत्पादन जो रिपोर्ट किया गया

2014-15 (अक्तूबर से दिसम्बर 2014) की तीसरी तिमाही के लिए आर्थिक सहायता दर को संशोधित कर 37.50 प्रति बैरल यूएसडी किया गया था जिसे आगे कच्चे तेल के दामों में अन्तर्राष्ट्रीय गिरावट के दृष्टिगत आखिरी तिमाही (जनवरी से मार्च 2015) में कम कर 'शुन्य' कर दिया गया था।

कम्पनी को कन्डंसेट और आफ गैस (कंडंसेट का 7.06 प्रतिशत और आफ गैस का 1 प्रतिशत) के समावेश द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के बताए गए अधिक कथन के कारण आर्थिक सहायता के अधिक शेयर को वहन करना पड़ा था। कम्पनी द्वारा 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान (**अनुबन्ध-IV**) वहन किया गया अतिरिक्त आर्थिक सहायता भार ₹18626.74 करोड़ था (अर्थात कच्चे तेल के उत्पादन में कंडंसेट के समावेश के कारण ₹16331.96 करोड़ और आफ गैस के समावेश के कारण ₹2294.78 करोड़) ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया (जनवरी/अप्रैल 2016):

(i) कम वसूली के ओएनजीसी के शेयर के निर्धारण के लिए कंडंसेट के समावेश के महत्वपूर्ण प्रभाव को सरकार के साथ उठाया गया है। ओएनजीसी ने सरकार से अपील की थी कि भविष्य में केवल कच्चे तेल की मात्रा को ही कम वसूली के ओएनजीसी के शेयर के निर्धारण के लिए विचार किया जाए और गैस कंडंसेट की मात्रा को शामिल नहीं किया जाए क्योंकि न तो यह कच्चा तेल है न इसे बेचा जा सकता है। यह भी सूचना दी गई थी कि अक्तूबर 2012 से मई 2014 की अवधि में ओएनजीसी द्वारा एमओपी एवं एनजी/एमओएफ के विभिन्न स्तरों/फोरम के साथ कंडंसेट के अपवर्जन का मामला उठाया गया था।

(ii) आफ गैस के संबंध में एमओपीएनजी/पेट्रोलियम प्लानिंग विश्लेषण सैल द्वारा उपलब्ध कराए गए फाइर्मेट के अनुसार कम्पनी द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी। चूंकि आफ गैस मात्रा (यद्यपि बाद में कच्चे तेल से हटा दी गई थी और गैस स्ट्रीम में जोडी गई थी) कच्चे तेल के सकल उत्पादन में शामिल की गई थी और बताई गई थी, इस पर सरकार द्वारा ओएनजीसी के शेयर की कम वसूली के निर्धारण के लिए विचार किया गया था। 2015-16 की तीसरी तिमाही से आफ गैस की मात्रा एमओपीएनजी को प्रस्तुत कच्चे तेल के मिलान विवरण में पृथक रूप से दर्शायी गई है।

(iii) सरकारी लेखापरीक्षा कम वसूली के ओएनजीसी के शेयर के निर्धारण के लिए कंडंसेट और आफ गैस के अपर्वजन के लिए सरकार के साथ मामला उठा सकती है।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर केवल लेखापरीक्षा के तर्क कि 'कंडंसेट' और 'आफ गैस' को 'कच्चा तेल' के उत्पादन के रूप में नही बताया जाना चाहिए था, को मजबूत करता है।

(i) कंपनी ने अपने आप ही सरकार को बताया था (जुलाई 2012) कि *'कंडंसेट' न 'कंपनी कच्चा तेल है और न ही यह बेचा जाता है' फिर भी, 'कंपनी कच्चे तेल के उत्पादन को 1990 से ही कंडंसेट सहित बता रही है'* यह कच्चे तेल को कंडंसेट के रूप में बताने की गलत प्रथा है, जबकि कंपनी इन दोनों के अंतर को जानती थी, जिसके कारण अतिरिक्त आर्थिक सहायता के शेयर की मौजूदा स्थिति हुई।

(ii) जैसा कि कंपनी ने अपने उत्तर में बताया, 'ऑफ गैस' को बाद में कच्चे तेल से हटा दिया गया और गैस स्ट्रीम में जोड़ दिया गया है। उसे बाद में प्राकृतिक गैस के रूप में बेचा गया। इस प्रकार कच्चे तेल के उत्पादन के रूप में 'ऑफ गैस' का बताया जाना गलत है। अतः यह पाया गया कि जबकि कंपनी ने आर्थिक सहायता शेयर निकालने के लिए 'कंडंसेट' के अपवर्जन के संबंध में मामला उठाया था, फिर भी 'ऑफ गैस' के अपवर्जन से संबंधित मामले को सरकार के साथ नहीं उठाया गया (मामले को लेखापरीक्षा में चिन्हित करने के बाद इसे अलग से दर्शाने के अलावा)।

कंडंसेट और आफ गैस मात्रा पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता भार में दोनों मदों (जो कि कच्चा तेल नहीं है जैसा कि कंपनी द्वारा माना गया है।) को कच्चे तेल के उत्पादन के रूप में बताने के कारण वृद्धि हुई थी।

ख. कच्चे तेल के उत्पादन को अधिक बताने के कारण ₹ 160.69 करोड़ के आर्थिक सहायता भार का अधिक शेयरिंग

अंतिम स्टॉक को अधिक बताने के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में कंपनी द्वारा अधिक आर्थिक सहायता वहन करने के प्रभाव का विवरण नीचे दिया गया है:

- जैसा की पैरा 4.6- ए में चर्चा की गई है, कंपनी ने वास्तविक की तुलना में अंतिम स्टॉक अधिक बताने के द्वारा अंकलेश्वर परिसम्पत्ति में कच्चे तेल के उत्पादन को अधिक बताया जिसके परिणामस्वरुप ₹ 153. 48 करोड़ की आर्थिक सहायता के शेयर का परिहार्य भुगतान हुआ (**अनुबंध V**)।
- जैसा की पैरा 4.6-बी में चर्चा की गई है, असम परिसम्पत्ति ने कच्चे तेल के उत्पादन को 2699.54 एमटी (3139 एम^3) तक अधिक बताया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.21 करोड़ की आर्थिक सहायता के शेयर का परिहार्य भुगतान हुआ। (**अनुबन्ध-V**)

प्रबन्धन ने कच्चे तेल के उत्पादन के अंतिम शेष स्टाक को अधिक बताने की लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमति जताई (जनवरी 2016) और कहा कि अंतिम स्टाक को जनवरी 2015 में सही कर दिया गया था। असम परिसम्पत्ति के संबंध में, प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2016) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद, परिसम्पत्ततियों को मामले से अवगत करवा दिया गया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए अंतिम स्टाक की सूक्ष्म निगरानी की जा रही है।

लेखापरीक्षा ने बाद में प्रबन्धन द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की।